भारत का राष्ट्रपति

भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को 'राष्ट्रपति' कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान है और मंत्रिमण्डल वास्तविक कार्यकारी। राष्ट्रपति की स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है तथापि उनका पद धुरी के समान है. जो राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित करता है।

① राष्ट्रपति की योग्यताएं -

1- वह भारत का नागरिक हो।
2- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।
3- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

② राष्ट्रपति का निर्वाचन - राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतपद्धति द्वारा होती है।

राष्ट्रपति का चुनाव -

1. $\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \div 1000$

2- $\frac{\text{समस्त राज्यों की विधान सभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुलयोग}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$

राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा एवं राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

③ वेतन तथा भत्ता - वेतन 50,000 है तथा भत्ता दिया जाता है।

④ कार्यकाल एवं महाभियोग - राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। अभियोग लगाने

G.P. Rathaur

Scanned by TapScanner

के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की कुल संख्या के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस प्रकार का संकल्प प्रस्तावित करने के पूर्व 14 दिन की लिखित सूचना देना अनिवार्य है। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।

अगर राष्ट्रपति का पद, मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये तो छह मास के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है।

5- राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य - संविधान के अनु० 52 के अंतर्गत संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। -

1- प्रशासनिक शक्तियां - प्रशासन का औपचारिक मुखिया होने के कारण, सरकार के सभी कार्य, राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति व पद से हटाते हैं। वह महान्यायवादी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं।

2- सैनिक शक्तियां - राष्ट्रपति सेना का प्रधान सेना पति होता है।

3- विधायी शक्ति - i- संसद का अधिवेशन बुलाना, उसे स्थगित करना, लोकसभा भंग करना, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना (अनु० 85, 108)।

ii- संसद को संबोधित करना, किसी भी सदन को संदेश भेजना (86)

iii- राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना (अ० 331, 334)

iv- संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देना या रोकना। (111)

v- अध्यादेश जारी करना (123)

4- न्यायिक शक्तियां - कोर्ट मार्शल द्वारा दण्डित मामलों, सभी मृत्युदण्ड के मामलों में दण्ड पर क्षमा, प्रतिलंबन, रोक, निलम्बन व कम करने की शक्ति प्रदान करता है।

Scanned by TapScanner

किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले को परामर्श हेतु सर्वोच्च-न्यायालय को सौंपना (अनु० 143)

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां—

1- युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। (अनु० 352)

2- यदि किसी राज्य का कार्य संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं चल रहा है तो उस राज्य में आपात-कालीन स्थिति की घोषणा (अनु० 356)।

3- वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा की शक्ति, जब यह प्रतीत हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के भाग की वित्त स्थिति या प्रत्यय संकट में है। (360)

Scanned by TapScanner